पत्रांक ____________/आ0
दिनांक __________/2020

समाहरणालय, बक्सर
(आपदा शाखा)

बिहार सरकार

फोन नं0– (06183)222335(R),222336(O)
फैक्स नं0– (06183)222231(R),226935(O)
ई–मेल – dm-buxar.bih@nic.in

अल्पकालीन निविदा सूचना

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक– 2429/आ0प्र0, दिनांक 27.06.2020 द्वारा बाढ़ एवं अन्य आपदाओं के दौरान खोज एवं बचाव कार्य में सहायता हेतु ड्रोन का उपयोग करने का निदेश प्राप्त है। तदनुसार जिले में ड्रोन को भाड़ा पर लेने हेतु दर निर्धारण की आवश्यकता है। ड्रोन का भाड़ा (ऑपरेटर सहित) निर्धारित करने के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्त्ता से सीलबंद निविदा (तकनीकी एवं वित्तीय) आमंत्रित की जाती है।

निविदाताओं को जिला पदाधिकारी, बक्सर के नाम से मो0–10,000/–(दस हजार) रूपये की जमानत राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जिला नजारत शाखा, बक्सर में जमा करनी होगी। निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 25.08.2020 को अपराह्न 01 बजे तक होगी। प्राप्त निविदाएँ उसी दिन अपराह्न 3:00 बजे अहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। जिसमें स्वयं निविदाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। ड्रोन से संबंधित आवश्यक मानक/विशेषताएँ निम्न प्रकार है :–

क्र0सं0	उपकरण संबंधित विवरण	उपकरण संबंधित विशेषताएँ
1	उड़ान क्षमता (जमीनी स्तर से ऊँचाई)	न्यूनतम 200 मीटर
2	कैमरा	न्यूनतम 20 Mega pixel

निविदा की आवश्यक शर्ते :–

1. निविदाता को GST निबंधन का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
2. PAN कार्ड एवं वित्तीय वर्ष 2017–2018 एवं 2018–2019 का आयकर रिटर्न संलग्न करना होगा।
3. निविदाताओं को काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधित स्व–घोषणा संलग्न करना होगा।
4. तकनीकी एवं वित्तीय निविदाता अलग–अलग लिफाफा में सीलबंद कर जमा करना होगा।
5. निविदाता को सभी कर सहित भाड़ा का दर (ऑपरेटर सहित) निम्न प्रपत्र में अंकित करना होगा।

क्र0सं0	समय	राशि रू0 में
1	2 घंटे के लिए	
2	4 घंटे के लिए	
3	प्रतिदिन	

6. स्वीकृत की गई निविदा के निविदाताओं को इस आशय का एकरारनामा करना होगा कि वे आदेश के पश्चात् तुरंत ड्रोन को जिला के बाढ़ एवं अन्य आपदा से प्रभावित स्थल/अंचल/मुख्यालय तक पहुंचाएंगे।
7. स्वीकृत किये भाड़ा के अलावा परिवहन व्यय या अन्य किसी प्रकार का व्यय कर देय नही होगा।
8. स्वीकृत किये गये ड्रोन (भाड़ा) के अनुरूप आपूर्ति नही किये जाने पर आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।
9. स्वीकृत निविदाताओं के द्वारा ससमय ड्रोन की आपूर्ति नही किये जाने की स्थिति में आवश्यकता के अनुसार अन्य निविदाकर्त्ताओं से या स्थानीय बाजार से अनुमोदित दर पर किराये पर ड्रोन की आपूर्ति ली जा सकती है।
10. स्वीकृत निविदाताओं को छोड़कर शेष निविदादाताओं की जमानत राशि शीघ्र ही वापस कर दी जायेगी।
11. बिना कारण बताये निविदा रद्द करने अथवा स्थगित करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

-Sd-

जिला पदाधिकारी,
बक्सर

ज्ञापांक 942 /आ0प्र0 दिनांक 10/8/2020।

प्रतिलिपिः जिला सूचना एवं जन–सम्पर्क पदाधिकारी, बक्सर/नजारत उपसमाहर्त्ता, बक्सर को सूचनार्थ एंवं आवश्यक कर्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, बक्सर/जिला आई0टी0 प्रबंधक, बक्सर को सूचनार्थ एवं अधिकारिक वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है अपने जिला में निविदा की प्रचार–प्रसार करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि : आयुक्त पटना, प्रमण्डल पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला पदाधिकारी,
बक्सर